न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 56 / 2016

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 पाबुसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी बोया तहसील बाली		1 बाघसिंह पुत्र भभुतसिंह जाति राजपूत निवासी बोया तहसील बाली 2 ग्राम पंचायत बोया जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अशोक अरोडा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांक 7/12/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत बोया द्वारा मिसल संख्या 29 / 2013—2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 6(1) दिनांक 05.05.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 06.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, वह रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, जो अवैध है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिसका सिविल न्यायालय में मुकद्दमा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 09.01.2014 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें भूमि रास्ते की मानते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी के पिता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो खारिज हुई है। सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2014 को आदेश पारित किया, इसके पश्चात दिनांक 31.01.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जबकि उस समय अतिक्रमण हटवाने के आदेश पारित किये जा चुके थे। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तनकी संख्या 6 साक्ष्य से विनिश्चित हुई है। अब इस भूमि पर अप्रार्थी का कोई हक नही है। रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो रास्ते की हद तक खारिज किया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टा को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि मकान के स्वामित्व एवं दस्तावेजो से ही साबित किया जा सकता है कि उक्त भूमि के पास में रास्ता है, जो प्रार्थी द्वारा किसी भी रूप में साबित नही किया गया है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

रास्ता बताने का कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नही है। प्रार्थी द्वारा जो नक्शा ए.बी.सी.डी. पेश किया है, उसे सिविल न्यायालय के निर्णय में रास्ता नही दर्शाया गया है। सिविल न्यायालय के निर्णय में इस भूमि पर 60 वर्ष पुराने पीलर बने हुए बताया गया है, किन्तु स्वामित्व नही है। सिविल न्यायालय के निर्णय की तनकीं संख्या 1 में भी रास्ता नही बताया है। दौराने वाद भभूतसिंह की मृत्य हो चुकी थी, तो उसके स्थान पर उसके पुत्र को पक्षकार बनाया गया है। इसके पश्चात उसका पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अप्रार्थी के मकान की ताईद आशाकंवर के पट्टे से होती है, जिसमें बाघसिंह भभूतसिंह का मकान एवं बाद में गली दर्ज है। इसी प्रकार थानसिंह के पट्टे में भी इन्द्राज है। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के पडौसी विजयसिंह ने पंचायत के समक्ष दिये गये बयानों में यह स्वीकार किया कि उसके एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच की दीवार 30 वर्ष पूर्व शामलाती रूप से निकाली गई है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.12.2016 को मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पति एवं उसके आस पास की स्थिति सहित बनाया था, जिसमे यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थी पाबुसिंह जिस भूमि को विवादित कर रहा है एवं रास्ते की भूमि बता रहे है, वह भूमि रास्ते की न होकर अप्रार्थी संख्या 1 की पट्टासुदा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि मिसल में महिपाल व शिवदान के बयान दर्ज किये गये है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि रास्ते की है, जिस पर उपयोग उपभोग का प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। अतः निगरानी स्वीकार करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत बोया द्वारा मिसल संख्या 29/2013–2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 6(1) दिनांक 05.05.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 06.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत बोया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुराने आवासीय मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 31.01.2014 को मिसल कायम की गई। दिनांक 20.02.2014 की आदेशिका अनुसार तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसकी पालना में वार्ड पंच पकाराम, कानूदेवी व मनोहरसिंह ने दिनांक 25.02.2014 को मौका निरीक्षण कर दिनांक 05.03.2014 को अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की। दिनांक 05.03.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये। इस आदेश की पालना में आपत्ति इश्तिहार जारी किया जाकर दो व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 05.05.2014 के अनुसार दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये।

अति० जिला कलेक्टर, बाली

जैर निगरानी पट्टे की भूमि को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य सिविल वाद भी दायर होकर निर्णित हुए है। जिसमें प्रथम प्रकरण दीवानी मूल वाद संख्या 265/98 (100/93) पाबूसिंह बनाम भभूतसिंह के का0मु0 दायर होकर दिनांक 18.08.2009 को माननीय सिविल न्यायालय (क0ख0) बाली से निर्णित हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात का विनिश्चय करते हुए वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा भूमि पर 60 वर्ष पुराने पीलर लगे होना जाहिर किया। इस निर्णय के विरूद्ध वादी पाबूसिंह द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बाली में सिविल अपील संख्या 05/2010 पाबूसिंह बनाम भभूतसिंह के का0मु0 वगैरा प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2014 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण को यह आदेश दिया गया कि वे वादस्थ भूमि पर लगे हुए पीलर एवं उस पर लगे फाटक को दिनांक 09.01.2014 से दो माह की अवधि में स्वयं के खर्चे से हटावे और ऐसा करने में यदि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण असफल रहते है, तो वादी द्वार हटवाया जाकर खर्चा प्रतिवादीगण से वसूल किया जावे। अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। यही सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नारंगीदेवी बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रतिपादित किया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थी के पुराने कब्जे को किसी भी रूप में नकारा नही है। तद्नुसार प्रकरण राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (ख) की परिधि में आने से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत पाया जाता है। चूंकि जहां तक पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोया द्वारा मिसल संख्या 29/2013–2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 6(1) दिनांक 05.05.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 48 दिनांक 06.06.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली